भीम BHIM भारत इंटरफेस फॉर मनी

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर।
पीठासीन अधिकारी– राम रतन सौंकरिया रा.प्र.से.

प्रकरण सं. 17 / 2018

उनवान

करणीसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति–राजपूत निवासी– बीठनोक, तहसील–कोलायत, जिला बीकानेर।

अपीलांट

बनाम

1. जीवणी पत्नी नारायणसिंह, जाति राजपूत, निवासी–बीठनोक, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर।
2. पदमसिंह पुत्र रेवन्तसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–बीठनोक, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर।
3. रूखमा पुत्री रेवन्तसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–बीठनोक, तहसील –कोलायत, जिला बीकानेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मु0 कोलायत

रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 01.05.18 उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर एवं नामान्तरण सं. 2251 दिनांक 03.10.08 ग्राम बीठनोक ।

उपस्थिति–

अपीलांट की ओर से– विद्वान अभिभाषक श्री हनुमान गिरी
रेस्पोडेन्टगण की ओर से– विद्वान अभिभाषक श्री हरिराम विश्नोई

निर्णय दिनांक 16 / 05 / 22

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि:–

1. ग्राम बीठनोक उपनिवेशन तहसील गजनेर मु. कोलायत के खसरा नं0 41 / 1 रकबा 168.17 बीघा, ख.न. 747 रकबा 162.06 बीघा, ख.न. 903 रकबा 83 बीघा, ख.न. 904 रकबा 26.06 बीघा, ख.न. 906 रकबा 33.06 बीघा कुल 474.03 बीघा खातेदारी भूमि संयुक्त खाते में रेस्पोडेन्ट सं.1 से 3 व अन्य सहकाश्तकारों के नाम दर्ज है।
2. उक्त भूमि पूर्व में अपीलांट के दादा रेवन्त सिंह पुत्र सिमरथ सिंह के नाम से खाता विभाजन होकर ग्राम बीठनोक के ख.न. 747 / 2 रकबा 26.07 बीघा व ख.न. 903 / 3 मे रकबा 13.03 बीघा कुल 39.10 बीघा खातेदारी दर्ज थी। रेवन्त सिंह फौत हो चुके है। जिनके जायज वारिस निम्न है:–

रेवन्त सिंह (फौत)

छोगी पत्नी (फौत) | नारायण सिंह पुत्र (फौत) | पदमसिंह पुत्र | रूखमा पुत्री

नारायण सिंह पुत्र (फौत): जीवणी पत्नी | करणी सिंह पुत्र

भीम
BhIM

13/2

150
YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

3. उक्त भूमि में रेवन्त सिंह का 1/12 हिस्सा है उक्त भूमि को संयुक्त खाते में न्यायालय का अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के आदेश दिनांक 29.01.08 की पालना में किया गया जो इन्तकाल सं. 2251 दिनांक 03.10.08 से दर्ज किया गया उक्त इन्तकाल में अपीलांट का नाम जायज वारिस होते हुवे भी छोड़ दिया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 के अलावा अन्य सहकाश्तकारों से अपीलांट का कोई हित नहीं है इसलिए पक्षकार नहीं बनाये।
4. अपीलांट द्वारा इन्तकाल सं. 2251 दिनांक 03.10.08 के विरूद्ध न्यायालय उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर के यहां अपील प्रस्तुत की गई जो यह कह कर दिनांक 01.05.18 को निरस्त कर दी गई कि रिमांड प्रकरण वर्तमान में सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर-। में चल रहा है या नही। क्योंकि उक्त नामान्तरण सं. 2251 न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के निर्णय दिनांक 29.01.08 की पालना में दर्ज किया गया है व अपीलाधीन आदेश तहसीलदार का मूल आदेश नहीं होकर न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में दर्ज किया गया है इसलिए अपील निरस्त की जाती है।
5. वर्तमान में उक्त प्रकरण सहायक आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर-। में जैरकार नहीं है व पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 29.01.08 की पालना में अपीलांट का नाम छोड़ दिया गया जबकि रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 का नाम दर्ज कर दिया जबकि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 रेवन्त सिंह के जायज वारिस है इसलिए उपायुक्त उपनिवेशन का पारित निर्णय दिनांक 01.05.18 निरस्त योग्य है निरस्त किया जावें।
6. इन्तकाल सं. 2251 दिनांक 03.10.08 में सहवन से अपीलांट का नाम दर्ज होने से रह गया इसलिए अपीलाधनी आदेश दिनांक 01.05.18 व 03.10.08 निरस्त योग्य है निरस्त फरमाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण की तलबी की गई। वकील उभयपक्ष द्वारा सहमति से अपील मीमो अनुसार निर्णय का निवेदन किया गया । उभय पक्ष को सुना गया अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों को भी बगौर अवलोकन किया गया। अपील मीमो के बिंदु सं. 2 में रेवन्त सिंह का सजरा अंकित है जिससे उभय पक्ष सहमत है। इस सजरे से साबित होता है कि अपीलांट करणी सिंह, नारायण सिंह का पुत्र होकर रेवन्त सिंह का जायज वारिस है। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.10.08 की पालना में स्वीकृत नामान्तरण सं. 2251 स्वीकृत दिनांक 03.10.08 ग्राम बीठनोक में रेवन्त सिंह के वारिस के रूप मे अपीलांट का नाम आना चाहिए था किंतु पत्रावली में संलग्न नामान्तरण सं. 2251 ग्राम बीठनोक की प्रतिलिपि के अवलोकन से साबित है कि मृतक रेवन्त सिंह के वारिसान के रूप में जीवणी पत्नी स्व0 नारायण सिंह, पदमसिंह, रूखमा हिस्सा 1/12 अंकित है। जिसमें अपीलांट का नाम अंकित नही है। चूंकि वकील उभय पक्ष द्वारा अपील मीमो के अनुसार निर्णय करने का कथन किया गया है। अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.05.18 व नामान्तरण सं. 2251 दिनांक 03.10.08 ग्राम बीठनोक को निरस्त किया जाता है तथा विवादित आराजी ग्राम बीठनोक के खसरा न. 41/1 रकबा 168.17 बीघा ख.न. 747 रकबा 162.06 बीघा, ख.न. 903 रकबा बीघा 83 बीघा ख.न. 904 रकबा 26.06 ख.न. 906 रकबा

भीम
BhIM
भारत इंटरनेशन मिशन

13/3

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

33.06 बीघा कुल 474.03 बीघा में रेवन्त सिंह के वारिस के रूप में हिस्सानुसार करणी सिंह पुत्र स्व. नारायण सिंह का नाम अंकित करते हुए पुनः नामान्तरण की कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर उक्तानुसार नामान्तरण की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 16/5/22 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेश एवं
राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर